

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/2002/117/पाली

1. मगनाराम पुत्र लूम्बाराम,
2. गणेशाराम पुत्र लूम्बाराम मृतक जरिये वारिसान-
2/1 श्रीमती कमला देवी पत्नी गणेशाराम,
2/2 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री गणेशाराम,
2/3 सुश्री वीणा कुमारी पुत्री श्री गणेशाराम,
2/4 संतोष कुमारी पुत्री श्री गणेशाराम,
2/5 विद्या कुमारी पुत्री गणेशाराम,
2/6 इंदु कुमारी पुत्री गणेशाराम,
क्रम सं. 2/2 से 2/6 नाबालिग जरिये वली माता कमला देवी,
समस्त निवासी भन्दर, तहसील व जिला पाली।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोरिया पुत्र गैना मृतक जरिये वारिस प्रहलाद पुत्र गोरिया, निवासी कोठार, तहसील बाली, जिला पाली।
2. हकमा पुत्र गैना मृतक जरिये वारिसान-
2/1 वक्तु देवी बेवा हकमा, निवासी कोठार, तहसील बाली, जिला पाली।
2/2 मंजू देवी पुत्री हकमा पत्नी गोविन्दराम, निवासी बिसलपुर, तहसील बाली, जिला पाली।
3. लूम्बा पुत्र गैना मृतक जरिये वारिस कूपाराम पुत्र लूम्बाराम, निवासी कोठार, तहसील बाली, जिला पाली।
4. धन्ना पुत्र गैना,
5. देशा पुत्र गैना,
समस्त निवासी कोठार, तहसील बाली, जिला पाली।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली।

...प्रत्यर्थीगण

खण्ड-पीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित:-

1. श्री गौरव दवे, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।
3. श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक।

दिनांक : 16.02.2026

निर्णय

1. हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक (जिसे आगे "अपील न्यायालय" लिखा जाएगा) द्वारा रिव्यु पिटीशन संख्या 33/2001 में

- पारित निर्णय दिनांक 20.12.2001 तथा अपील संख्या-56/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2001 के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे “काश्तकारी अधिनियम” लिखा जाएगा) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या-6 तहसीलदार, बाली ने काश्तकारी अधिनियम की धारा-175 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली (जिसे आगे “विचारण न्यायालय” लिखा जाएगा) के यहां प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा भन्दर में स्थित पूर्व खसरा नंबर 230 से 239 कुल क्षेत्रफल 16 बीघा, हाल खसरा नंबर-569 व 568 क्षेत्रफल 2.59 हैक्टेयर, जो मूल रूप से मैना पुत्र धूला, जाति मीणा (अनुसूचित जनजाति) के नाम दर्ज थी, उसे नियम विरुद्ध लूम्बा पुत्र दरगा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी ने अभिकथन किया कि विवादित आराजी का नामान्तरण संख्या 447 दिनांक 29.06.1968 से ही उसके पिता लूम्बा के नाम दर्ज है, जिसको निरस्त करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत 5 द्वारा पूर्व में सहायक कलेक्टर, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को दिनांक 10.09.1973 को खारिज किया गया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर, पाली ने भी उक्त नामांतरण को विधिनुसार किया जाना मानते हुए दिनांक 20.10.1991 को इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते रेफरेंस को खारिज किया। जवाब में अपीलार्थी ने तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.06.1983 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र समयसीमा (3 वर्ष) से बाहर होने का तर्क भी प्रस्तुत करते हुए उक्त वाद को खारिज करने का निवेदन किया था।
 3. विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.06.2001 को तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे असंतुष्ट हो अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.09.2001 को निरस्त किया गया। अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 28.09.2001 के विरुद्ध नजरसानी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा उक्त नजरसानी प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.12.2001 को अस्वीकार किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
 4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित विवेचन तथा विश्लेषण किए बिना वाद डिक्री कर दिया, जबकि तहसीलदार ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद को किसी भी स्थिति में प्रमाणित नहीं किया था। तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.06.1968 को अपीलार्थीगण के पिता लूम्बा के नाम से स्वीकृत किए गए नामांतरण संख्या-447 को निरस्त करने हेतु प्रत्यर्थीगण संख्या-1 लगायत 5

की ओर से अतिरिक्त कलक्टर, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 10.08.1973 को खारिज किया गया। ऐसे में तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 10.06.1983 को, अर्थात् लगभग 10 वर्ष पश्चात काश्तकारी अधिनियम की धारा-175 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बाली के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मियाद बाहर होने से पोषणीय नहीं था, जिसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर विधिक त्रुटि कारित की है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि विवादित आराजी के संबंध में अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री लूम्बा के पक्ष में स्वीकृत नामांतरण को खारिज किए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व मण्डल में रेफरेंस किए जाने हेतु जिलाधीश पाली को काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया, जिसे जिलाधीश द्वारा दिनांक 20.10.1991 को खारिज कर दिया गया। बावजूद इसके दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को अविधिक रूप से स्वीकार कर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज होकर खातेदार के रूप में प्रमाणित हैं, जिस आधार पर उक्त आराजी पर उनका एडवर्स पजेशन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1993 RRD 783 (State of Raj. Vs L.Rs. of Bhagga & Ors) तथा 1992 RRD 387 (Narsingh Vs State of Raj. & Anr) प्रस्तुत किए।

अंत में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील न्यायालय के निर्णयों दिनांक 20.12.2001 एवं दिनांक 28.09.2001 तथा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.06.2001 को निरस्त करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किए कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में दिनांक 10.06.1983 को धारा 175, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनुसूचित जनजाति की भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति सदस्य को उपकाशत पर देने का कृत्य अधिनियम की धारा 42 के विरुद्ध है। उपकाशत पर पट्टा दिए जाने हेतु पट्टा निष्पादित होकर पट्टे का भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा सत्यापन किए जाने के पश्चात ही धारा 175, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। उपकाशत का पट्टा निष्पादित और सत्यापित नहीं होने से प्रकरण में हस्तांतरण साबित नहीं हुआ। साथ ही विचारण न्यायालय में इस संबंध में कोई ठोस प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया, जो पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायसम्मत है। साथ ही उन्होंने कथन किया

कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत कार्यवाही हेतु पूर्व में समयसीमा 3 वर्ष थी, जिसे वर्ष 1971 में बढ़ाकर 12 वर्ष एवं वर्ष 1981 में बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया, जिस कारण से दिनांक 10.06.1983 को प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र समय सीमा के भीतर था। ऐसे में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत था, जिसकी अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि कर कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने प्रस्तुत द्वितीय अपील को सारहीन बताते हुए उसको निरस्त करने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्षीय अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपांत सावधानीपूर्वक अवलोकन विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।
8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधान निम्नानुसार हैं—

42. General restrictions on sale, gift and bequest— The sale, gift or bequest by a Khatedar tenants of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if—

(a)

(b) such sale, gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe.

(c)

9. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रतिबंध का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है। यह प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन कर किया गया कोई भी हस्तांतरण प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) होता है।
10. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा उसकी जाति या जनजाति के बाहर किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण प्रारंभ से ही (ab initio) अवैध एवं शून्य (void) माना जाता है। यह बात राजस्व मंडल (Board of Revenue) के निर्णयों की एक सतत् श्रृंखला द्वारा अब पूर्णतः स्थापित हो चुकी है। पक्षकारों के बीच कोई भी समझौता वैध नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हस्तांतरण धारा 42(ख) का उल्लंघन होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य (ab initio) है।
11. यह सुस्पष्ट है कि यह धारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा खातेदारी अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। इस प्रकार, इस प्रावधान का उल्लंघन हस्तांतरण को अवैध बना देता है तथा नामांतरण (mutation) को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे मामलों को आदेश

- हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कलेक्टर के द्वारा ऐसे नामांतरण को न केवल रद्द करना चाहिए अपितु राजस्व मंडल के समक्ष रेफरेंस भी प्रस्तुत करना चाहिए।
12. इस विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर पाली के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों का न तो विवेचन किया गया है और न ही इस संबंध में राजस्व मंडल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों का ध्यान रखा गया है। अतः कलेक्टर पाली द्वारा दिनांक 2010.1991 को पारित आदेश विधि विरुद्ध है।
 13. किसी भी प्रक्रिया संबंधी विधि की ऐसी व्याख्या अथवा उसे इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता कि वह किसी चालाकीपूर्ण या परोक्ष उपाय (thin end of the wedge) द्वारा मूल विधि (substantive law) को निष्फल कर दे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खातेदारों पर गैर-अनुसूचित वर्गों के पक्ष में अपनी भूमि के हस्तांतरण पर जो अयोग्यता लगाई गई है, वह पूर्णतः निरपेक्ष (absolute) है और कमजोर वर्ग के रूप में उनके दीर्घकालिक हित में है। यह एक विधिक प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सुविचारित सार्वजनिक नीति के लक्ष्य को सुनिश्चित करना है।
 14. धारा 175 इस नीति को लागू कराने हेतु विधि को प्रदत्त अधिकारों (teeth) को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से समाहित करती है। धारा 42 तथा उसमें निहित सार्वजनिक नीति को निष्प्रभावी करने के लिए अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति के बीच किसी भी प्रकार की सहमति, समझ या पारस्परिक सहायता को मान्यता नहीं दी जा सकती।
 15. जब हस्तांतरण-प्राप्तकर्ता (transferee) को अनुसूचित जाति की भूमि में कोई विधिक हैसियत (locus standi) ही प्रदान नहीं की जानी है, तब-यदि मूल खातेदार को कोई आपत्ति न हो और वह विधि एवं न्यायालयों के समक्ष उसके समर्थन में पूरी तरह प्रस्तुत हो- तो भी अपीलकर्ताओं के लिए न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करने का कोई आधार शेष नहीं रहता।
 16. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में निहित राज्य की नीति, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों द्वारा भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, ऐसे व्यक्तियों के हित में है और इसे निष्फल होने नहीं दिया जा सकता, भले ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ऐसे हस्तांतरण का पक्षकार अनिच्छा से या अन्यथा क्यों न बना हो।
 17. रामचंद्र बनाम राजस्थान राज्य (1978) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यह निर्धारित किया है कि- “नकारात्मक शब्द (Negative words) स्पष्ट रूप से निषेधात्मक होते हैं और सामान्यतः विधान द्वारा किसी अधिनियम को

अनिवार्य (imperative) बनाने के लिए विधायी उपकरण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं।”

18. धारा 42 का उपबंध (proviso) भी निषेधात्मक रूप में ही विन्यस्त किया गया है और उपर्युक्त विवेचित विधि के आलोक में, हमारी सुनिश्चित राय में, उसका स्वरूप अनिवार्य (mandatory) है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विधायकों का उद्देश्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा गैर-अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण (alienation) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना था, ताकि कृषि जोत (agricultural holding) उस वर्ग के हाथों से बाहर न जाए। यह उपबंध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के कृषि भूमि संबंधी हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अतः विधायी मंशा (legislative intendment) भी हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रेरित करती है कि यह उपबंध अनिवार्य प्रकृति का है।
19. अतः विवादित विक्रय धारा 42 के उपबंध का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा उस वर्ग से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में विक्रय को निषिद्ध करता है। इसलिए विवादित विक्रय भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अर्थ में विधि द्वारा निषिद्ध (forbidden by law) है। यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि जहाँ कोई संविदा, जिसे कोई पक्ष प्रवर्तित कराना चाहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विधि द्वारा निषिद्ध हो, वहाँ कोई भी न्यायालय उसे प्रभावी बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान नहीं करेगा।
20. उपरोक्त विचार-विमर्श के आलोक में, हम निश्चित रूप से इस मत पर हैं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा उस वर्ग से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में किया गया विक्रय-संविदा या विक्रय विधि की दृष्टि में शून्य है और प्रवर्तनीय नहीं है। अतः राजस्व मंडल द्वारा विवादित विक्रय को शून्य ठहराया जाना पूर्णतः उचित है।”
21. बाबू सिंह बनाम राज्य राजस्थान, 1998, RRD 396 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय) में यह पुनः अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 42 का उपबंध (Proviso) स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा उस वर्ग से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में विक्रय को निषिद्ध करता है। अतः ऐसा विक्रय भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अर्थ में विधि द्वारा निषिद्ध है और कोई भी न्यायालय विधि द्वारा निषिद्ध किसी संविदा को प्रभावी बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान नहीं करेगा।
22. धारा 88 के अंतर्गत कोई क्रेता प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) द्वारा खातेदारी अधिकार अर्जित कर सकता है, बशर्ते कि खातेदारी का अर्जन विधि द्वारा विशेष रूप से निषिद्ध न हो। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित करने का दावा करता है, परंतु उसे भूमि का कब्जा ऐसे किसी लेन-देन के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ

हो या उसने ऐसा कब्जा किसी ऐसे विधिक प्रावधान के उल्लंघन में प्राप्त किया हो, जो ऐसे लेन-देन को निषिद्ध या अमान्य करता हो, अथवा यदि किसी राज्य के किसी ऐसे प्रावधान को इस प्रकार परिहार (circumvent) किया गया हो, तो वह खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं कर सकता। इस प्रकार यह विधिक रूप से स्थापित स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के उल्लंघन में भूमि क्रय करता है, तो वह प्रतिकूल कब्जे द्वारा खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं कर सकता।

23. वर्तमान मामले में, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यदि विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि याचिकाकर्ता को भूमि पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति मिल जाएगी, जिसका वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के स्पष्ट प्रावधानों के आलोक में अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों को निरस्त करना हम उचित नहीं समझते हैं।
24. उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधिक प्रावधानों के प्रकाश में विचाराधीन अपील में विधिक बल नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखते हुए अपील निरस्त की जाती है। जिला कलेक्टर पाली को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलाधीन भूमि को बिलानाम राजकीय दर्ज करते हुए मौके पर कब्जा राज लिया जाना सुनिश्चित करें।
25. निर्णय सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य